



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर- 302005

अत्यावश्यक

अनौपचारिक टिप्पणी

विषय : मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 102 के अनुसार "उद्योग विभाग द्वारा वितरित राज्य के दस्तकारों, बुनकरों कुटीर व लघु उद्योगों के वर्ष 2000 तक के विभिन्न योजनाओं में बकाया समस्त ऋणों को माफ" किये जाने की क्रियान्विति के क्रम में।

प्रसंग: संयुक्त शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1(47)उद्योग/ग्रुप-2/2021 दिनांक 21.01.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अधिसूचना की प्रति संलग्न कर लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-2) विभाग द्वारा उक्त बजट घोषणा से संबंधित ब्याज एवं ऋणों की माफी से संबंधित अधिसूचना को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। अतः अपलोड संबंधी कार्यवाही करवाये जाने का श्रम करावें।

वित्तीय सलाहकार

अनौ.टिप्पणी क्र.: एफ 5(97) आ.उ./लेखा-11 अनु./जिउके ऋण/2020-21 /1671
दिनांक : 27/1/22

ए.सी.पी.
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक 21/01/2022

क्रमांक 1 (47) उद्योग/ग्रुप-2/2021

—: अधिसूचना—:—

1. प्रस्तावना :—

बजट घोषणा वर्ष 2021-22 बिन्दु संख्या 102 के अनुसार "उद्योग विभाग द्वारा वितरित राज्य के दस्तकारों, बुनकरों कुटीर व लघु उद्योगों के वर्ष 2000 तक के विभिन्न योजनाओं में बकाया समस्त ऋणों को माफ किया जायेगा। इसमें लगभग 3000 उद्यमी लाभान्वित होंगे।"

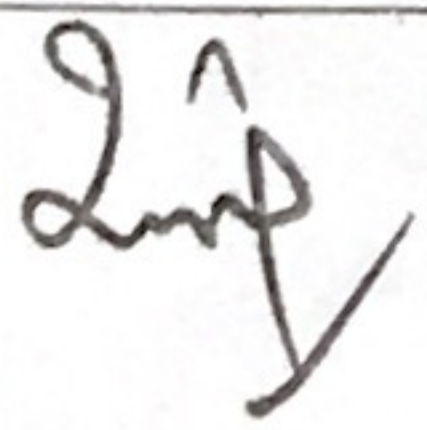
राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 तक वितरित राज्य के दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर व लघु उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत वितरित किए गये ऋणों को माफ किये जाने हेतु उक्त बजट घोषणा की गई।

2. बजट घोषणा के क्रम में परिलाभ :—

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 303(1) के एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-III के बिन्दु संख्या 10(c) की शर्तों में One Time शिथिलता प्रदान करते हुए उद्योग विभाग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ऋण माफी की सहमति वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 102103714 दिनांक 10.09.2021 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् प्रदान की गयी है।

3. योजनाओं के नाम:—

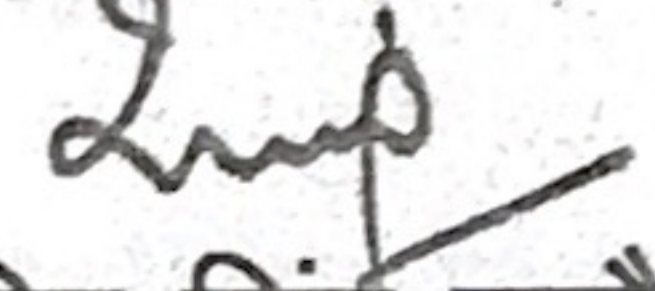
क्र. स.	ऋण योजना का नाम	ऋणियों की संख्या	कुल वितरित ऋण राशि	बकाया ऋण एवं ब्याज राशि (ब्याज गणना 31.03.2021 तक)		
				मूलधन	ब्याज	कुल
1	जिला उद्योग केन्द्र ऋण	2589	4867400	2471150	10080274	12551424
2	लघु उद्योग ऋण	619	2201800	1017322	5711860	6729182
3	मार्जिन मनी ऋण	175	3502539	2570884	13333055	15903939
4	हाथकरघा ऋण	143	3933982	2711497	10408237	13119734
5	ब्याज मुक्त ऋण	44	623741	305865	2247206	2553071
6	हाथकरघा समितियों को ऋण	222	6497469	3521314	14626494	18147808
7	ग्रामोद्योग ऋण	2326	3583914	1746257	9087979	10834236
8	पंचायत समिति ऋण	116	116334	109617	391294	500911
9	बाढ़ ऋण	14	9650	5877	28074	33951
योग		6248	25336829	14459783	65914473	80374256



पात्रता:— राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 तक वितरित राज्य के दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर व लघु उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से बिन्दु संख्या 03 में दी गयी सारणी के अनुसार कुल 9 ऋण योजनाओं के अंतर्गत वितरित किए गये बकाया ऋण।

5. प्रक्रिया:— समस्त जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त प्रमाणित सूचना के आधार पर घोषणा से संबंधित पात्र 9 योजनाओं (बिन्दु संख्या 3-सारणी) में कुल वितरित ऋण राशि रुपये 25336829/- तथा मूलधन व शास्ति (ब्याज) सहित बकाया ऋण राशि रुपये 80374256/- जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उक्त बजट घोषणा अनुसार 'माफ' (Waive off) की गयी है, प्रशासनिक विभाग द्वारा बजट घोषणा अनुसार उक्त 6248 पात्र इकाईयों हेतु एकमुश्त मूलधन व शास्ति (ब्याज) 'माफी' (Waive off) संबंधी आदेश जारी किये जायेंगे जिसके अनुसरण में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा पूर्व प्रेषित सूचना के आधार पर ऋण एवं ब्याज माफी की कार्यवाही की जायेगी।

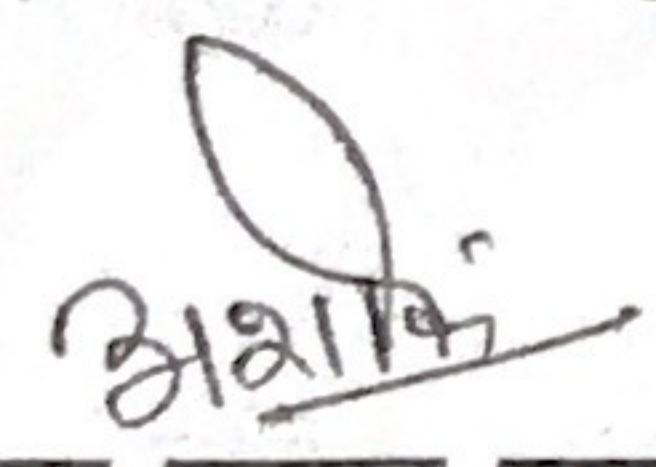
राज्यपाल की आज्ञा से,


(शक्ति सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
4. शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. शासन सचिव, आयोजना विभाग
6. आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
10. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग
11. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
12. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
13. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त
14. रक्षित पत्रावली


(अशोक कुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव